न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-57/2016

दुर्गाप्रसाद पुत्र भूराराम जाति रैगर निवासी शिश्यू तहसील दांतारामगढ कजला सीकर ॥राज0॥ ---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- गंगाराम
2- श्रवणकुमार
॥ पुत्रगण बालराम निवासी बधानों की ढाणी तन पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

3- मनोज
4- विनोद
॥ पुत्रगण स्व0 मदनलाल निवासी शिश्यू तहसीलदांतारामगढ जिला सीकर।

5- ग्यारसीलाल
6- पूर्णमल
7- जवाहरलाल
॥ पुत्रगण स्व0 भूराराम निवासीगण ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ जिला सीकर॥राज0॥

8- भागीरथ पुत्र गंगूराम जाति रैगर निवासी ग्राम रानौली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

9- एच0डी0एफ0सी बैंक लि0 सी0 स्कीम जयपुर ।

10-उप तहसीलदार एवं उप पंजीयक पलसाना जिला सीकर ।

11- तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

--रेस्पोन्डेन्टस---

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक
5-7-16 द्वारा सहायक कलेक्टर
॥मु0॥ सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री प्रदीप जोशी एडवोकेट- रेस्पोन्डेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक- 22.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/ अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 2640, 2641, 2642 कुल किता-3 रकबा 2.48 हैक्टर व भूमि खसरा नं0 2603 रकबा 1.89 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1903 व 1903/3413 कुल किता-2 रकबा 1.58 हैक्टर वाके ग्राम भिाश्यू में अवस्थित है तथा आराजी ख0नं0 2748/4654 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0नं0 2970 रकबा 1.34 हैक्टर वाके ग्राम बधालो की ढाणी तन पलसाना में अवस्थित है । उक्त आराजी पैत्रिक है। खसरा नं0 2970 रकबा 1.34 हैक्टर है जो प्रार्थी के पिता के फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0-1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा होना चाहिये था । जो केवल अप्रार्थी संख्या-1 के नाम दर्ज हो गया। जो गलत है । जबकि इस आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0-1 व 2 का भी कब्जा काश्त है। ख0नं0 2640, 2641, 2642 कुल किता-3 रकबा 2.48 हैक्टर प्रार्थी के दादा के फौत होने पर प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी संख्या-1 व 2 का समान रूप से 1/3, 1/3 हिस्से का नामान्तरकरण दर्ज हो गया । जिसमें अप्रार्थी संख्या-1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान करने के बाद राजस्व अधिकारियों से साज कर इस आराजी में अपना 2/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया ।जबकि प्रार्थी एव एवं अप्रार्थीगण मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है । रेकार्ड में अप्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से साज कर अपना नाम गलत दर्ज करवाकर इस आराजी को खुर्द बुर्द कर निर्माण कर विक्रय करने की कुचेष्ठा में है । अप्रार्थी अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो जाता है तो प्रार्थी का दावा लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे । अदालत मातह-त ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने नये तथ्यों विक्रय पत्र इत्यादी की साक्ष्य द्वारा पुष्ठी नहीं हो जाती उन्हे मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो एक तरह से दावे का ही निर्णय कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । विवादित आराजी पैत्रिक है जिसका बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर पक्षकार काबिज है। रेस्पोडेन्ट संख्या-। के नाम से गलत अंकन के आधार पर उक्त विवादित आराजी का रेस्पोडेन्ट द्वारा बैचान कर दिया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णिय क्षति होगी । तथा दावा पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।अदालत मातहत ने दावे के निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के तथ्यों पर कोई गौर नकर अपना निर्णय दिया है । अदालत मातहत का निर्णय निर्णय की संज्ञा में ही नहीं है क्योंकि जिन तथ्यों का दावे में निर्णय किया जाना था उनका निर्णय तो इस प्रार्थना पत्र में ही कर दिया । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं पर निर्णय किया जाना था किन्तु अदालत मातहत ने इन बिन्दूओं पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जबकि विवादित आराजी पर अपीलान्ट 0000 बाहमी बंटवारा कर मौके पर काबिज है जिससे अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन है । आराजी को खुर्द बुर्द कर बैचान किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी अपीलान्ट को ही है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर विवादित आराजी की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश फरमाये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर 00 की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस बगौद्द समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2067 से 2070 में ख0नं0 2748/4654 रकबा 0.03 हैक्टर की खातेदारी श्रवणकुमार, गंगाराम पि0 बालूराम मु0 प्रभाती बेवा बालूराम के नाम ख0नं0 2970 रकबा 1.34 हैक्टर की खातेदारी गंगाराम पुत्र बालूराम खसरा नं0 2640, 2641, 2642 कुल किता-3 रकबा 2.48 हैक्टर की खातेदारी भागीरथ पुत्र गंगूराम जाति रैगर हि0 1/3 गंगाराम पुत्र बालूराम हि0 2/3 दर्ज है । ख0नं0 2603 रकबा 1.89 हैक्टर की खातेदारी भूरा पुत्र बालूराम के नाम दर्ज है । राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं । विक्रय पत्र दिनांक 19-7-72 से क्रय की जो गंगाराम पुत्र बालूराम द्वारा क्रय किया जाना है । विक्रय पत्र के आधार पर भी अपीलान्ट का इस आराजी में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है तथा न ही यह आराजी पैत्रिक साबित है । अपीलान्ट का बार बार यह कहना भी गलत है कि इस आराजी का बाहमी बंटवारा कर रखा है । अपीलान्ट का विवादित आराजी में किसी भी दस्तावेज से प्रथम दृष्टया मामला नहीं है । इस आराजी पर प्रथम दृष्टया मामला राजस्व रेकार्ड एवं विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट का ही साबित है । ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जिससे अपीलान्ट का सुविधा का सन्तुलन साबित होता हो । यह बिन्दू भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में है साथ ही एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही है । न कि अपीलान्ट को । प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है । तथा एक रेकार्डे-ड खातेदार काश्तकार कोअ स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी कानून के विपरित है । अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं । जिससे उनके निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(मु0) सीकर का निर्णय दिनांक 5-7-16 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.12.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर